दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922

(1922 का अधिनियम संख्यांक 8)

[5 मार्च, 1922]

दिल्ली में एक [1][अध्यापन और संबंधक विश्वविद्यालय]
की स्थापना और निगमन
करने के लिए
अधिनियम

यह समीचीन है कि दिल्ली में एक [1][अध्यापन और संबंधक विश्वविद्यालय] स्थापित और निगमित किया जाए; अत: इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 है ।

(2) यह उस तारीख[2] को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट करे ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम और परिनियमों में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो—

[3][(क) "महाविद्यालय" से ऐसी संस्था अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जा रही है या जिसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए गए हैं और इसके अन्तर्गत कोई सहबद्ध महाविद्यालय या घटक महाविद्यालय भी है ।

स्पष्टीकरण 1—"सहबद्ध महाविद्यालय" से इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अनुसरण में विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त ऐसी संस्था अभिप्रेत है जिसमें परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसरण में, स्नातक उपाधि तक किन्तु आनर्स और स्नातकोत्तर उपाधियों को अपवर्जित करके शिक्षा दी जाती है ।

स्पष्टीकरण 2—"घटक महाविद्यालय" से इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अनुसरण में कार्य परिषद् द्वारा इस रूप में मान्यमताप्राप्त संस्था अभिप्रेत है;

(ख) "छात्रनिवास" से विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास के लिए ऐसी इकाई अभिप्रेत है जिसकी व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा की गई है, जो उसके द्वारा चलाई गई है या जिसे उसके द्वारा मान्यताप्राप्त है;]

(ग) "विश्वविद्यालय परिपोषक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने विश्वविद्यालय की निधियों में कम से कम एक लाख रुपए का दान दिया है और जिसे कुलाधिपति ने विश्वविद्यालय का परिपोषक घोषित किया है;

(घ) "प्रधानाचार्य" से किसी महाविद्यालय का प्रधान अभिप्रेत है [4][और जब कोई प्रधानाचार्य नहीं है तब प्रधानाचार्य का कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से तत्समय नियुक्त व्यक्ति और प्रधानाचार्य या कार्यकारी प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति में इस रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त उपप्रधानाचार्य भी इसके अन्तर्गत है;]

[5]* * * * *

(च) "परिनियम", "अध्यादेश" और "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के क्रमश: परिनियम, अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत हैं;

(छ) "शिक्षक" के अन्तर्गत आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक और अन्य ऐसे व्यक्ति भी हैं जो विश्वविद्यालय में या किसी महाविद्यालय या छात्रनिवास में शिक्षा देते हैं;

[6][(ज) "विश्वविद्यालय के शिक्षक" से विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय में शिक्षा देने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त या मान्यताप्राप्त व्यक्ति अभिप्रेत है;]

(झ) "विश्वविद्यालय" से दिल्ली विश्वविद्यालय अभिप्रेत है; और

(ञ) "वार्डन" से छात्रनिवास का प्रधान अभिप्रेत है ।

---

[1] 1952 के अधिनियम सं० 5 की धारा 2 द्वारा "ऐकिक अध्यापन और आवासीय विश्वविद्यालय" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1 मई, 1922, देखिए, साधारण नियम और आदेश, खण्ड 5, पृ० 49, भारत का राजपत्र, 1922, भाग 1, पृ० 384 ।
[3] 1952 के अधिनियम सं० 5 की धारा 3 द्वारा मूल खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 1943 के अधिनियम सं० 24 की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया ।
[5] 1952 के अधिनियम सं० 5 की धारा 3 द्वारा खण्ड (ङ) का लोप किया गया ।
[6] 1952 के अधिनियम सं० 5 की धारा 3 द्वारा मूल खण्ड (ज) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

विश्वविद्यालय

COURT BOOK
ENABLING LEGAL CLARITY

3. विश्वविद्यालय—(1) विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति और प्रथम कुलपति तथा सभा, कार्य परिषद् और विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य और वे सभी व्यक्ति, जो आगे चल कर ऐसे अधिकारी या सदस्य बनें, जब तक वे ऐसे पद पर बने रहते हैं या उनकी सदस्यता बनी रहती है, इसके द्वारा "दिल्ली विश्वविद्यालय" नाम से निगमित निकाय के रूप में गठित किए जाते हैं।

(2) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार और उसकी सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा।

4. विश्वविद्यालय की शक्तियां—विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

(1) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जो विश्वविद्यालय ठीक समझे, शिक्षा देने की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिए तथा ज्ञान अभिवृद्धि और प्रसार के लिए व्यवस्था करना;

[1][(2) परीक्षाएं लेना और ऐसे व्यक्तियों को उपाधियां और विद्या संबंधी अन्य विशिष्ट उपाधियां प्रदान करना :—

(क) जिन्होंने विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय में पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन किया है, या

(ख) जो विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर निवास करने वाली इतर महाविद्यालय छात्राएं हैं, या

(ग) जो परिनियमों और अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के अधीन शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक हैं और जिन्होंने वैसी ही शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय की परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं,] [2][या]

[2][(घ) जिन्होंने पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन पत्राचार द्वारा किया है, चाहे वे विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर निवास कर रहे हों या न कर रहे हों,] [3][या]

[3][(ङ) जो ऐसी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर, जिन तक विश्वविद्यालय की शक्तियों का विस्तार है, निवास करने वाले व्यक्ति होने के नाते, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिनियमों और अध्यादेशों में अधिकथित की जाएं, विश्वविद्यालय द्वारा बाह्य अभ्यर्थियों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं;]

(3) अनुमोदित व्यक्तियों को सम्मानित उपाधियां या अन्य विशिष्ट उपाधियां परिनियमों में अधिकथित रीति से प्रदान करना;

(4) उन व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं हैं, ऐसे डिप्लोमे प्रदान करना, और उनके लिए ऐसे व्याख्यानों और शिक्षण की व्यवस्था करना, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे;

(5) ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों से सहकार करना;

(6) आचार्य, उपाचार्य तथा प्राध्यापक पद और विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित कोई अन्य अध्यापन पद संस्थित करना;

(7) व्यक्तियों को आचार्य, उपाचार्य या प्राध्यापक या अन्यथा शिक्षक के रूप में नियुक्त करना या मान्यता देना;

(8) [4]*** अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, छात्र-सहायता वृत्ति और पारितोषिक संस्थित करना और प्रदान करना;

[5][(9) महाविद्यालयों और छात्रनिवासों को चलाना, ऐसे महाविद्यालयों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा नहीं चलाए जाते, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देना और उन सभी या किन्हीं विशेषाधिकार को वापस लेना तथा ऐसे छात्रनिवासों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा नहीं चलाए जाते, मान्यता देना और ऐसी किसी मान्यता को वापस लेना;]

[6][(9क) चिकित्सा, प्रौद्योगिकी, संगीत या ललितकला के संकायों में पाठ्यक्रम चलाने वाले महाविद्यालयों को, विद्या परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से, संबद्ध महाविद्यालयों की सहमति से, स्वायत्त महाविद्यालय घोषित करना :

परन्तु ऐसे प्रत्येक महाविद्यालय की स्वायत्तता जिस सीमा तक हो सकेगी वह सीमा और वे विषय जिनके संबंध में वह ऐसी स्वायत्ता का प्रयोग कर सकेगा, ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं;

---

[1] 1952 के अधिनियम सं० 5 की धारा 4 द्वारा मूल खण्ड (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[2] 1961 के अधिनियम सं० 61 की धारा 2 द्वारा (1-2-1962 से) अंत:स्थापित।
[3] 1970 के अधिनियम सं० 35 की धारा 2 द्वारा (20-6-1970 से) अंत:स्थापित।
[4] 1952 के अधिनियम सं० 5 की धारा 4 द्वारा "नियमों और विनियमों के अनुसार" शब्दों का लोप किया गया।
[5] 1952 के अधिनियम सं० 5 की धारा 4 द्वारा खण्ड (9) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[6] 1972 के अधिनियम सं० 48 की धारा 2 द्वारा (22-6-1972 से) अंत:स्थापित।

(9ख) दो या दो से अधिक महाविद्यालयों के लिए एक या एक से अधिक महाविद्यालय प्रशासनिक परिषदों की स्थापना करना, जिनके गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जो एक से परिनियमों में अधिकथित किए जाएं;]

COURT BOOK

(10) ऐसे फीसों और अन्य प्रभारों की, जो अध्यादेशों द्वारा प्राधिकृत किए जाएं, मांग करना और उन्हें प्राप्त करना;

(11) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास और अनुशासन का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना तथा उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रबन्ध करना;

[1][(11क) वहिर्वर्ती अध्यापन कार्यों की सहायता के लिए विश्वविद्यालय की निधियों में से अनुदान देना;]

[2][(12) छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिए विशेष प्रबन्ध करना;]

[3][(12क) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए स्थावर या जंगम संपत्ति, जिसके अन्तर्गत न्यास या विन्यस्त सम्पत्ति भी है, अर्जित करना, धारण करना, उसका प्रबन्ध और व्ययन करना;

(12ख) केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए धन उधार लेना;]

[4][(12ग)] प्रशासनिक और अनुसचिवीय तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना; और

(13) ऐसे अन्य सब कार्य और बातें करना, जो अध्यापन और परीक्षण निकाय के रूप में विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए अपेक्षित हों, चाहे वे पूर्वोक्त शक्तियों की अनुषंगी हों या न हों तथा कला, विज्ञान और विद्या की अन्य शाखाओं को समृद्ध करना और उनमें अभिवृद्धि करना ।

5. शक्तियों का क्षेत्रीय प्रयोग—(1) जैसा इस अधिनियम में उपबन्धित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा प्रदत्त विश्वविद्यालय की शक्तियों का [5][उन शक्तियों से भिन्न जो धारा 4 के खंड (2) के उपखंड (घ) द्वारा प्रदत्त हैं], विस्तार [6][दिल्ली के संघ राज्यक्षेत्र] [7][की सीमाओं से बाहर] नहीं होगा, और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, [8][उन सीमाओं] से परे स्थित कोई भी शिक्षा संस्था विश्वविद्यालय से सहयुक्त नहीं की जाएगी और न ही उसे विश्वविद्यालय का कोई विशेषाधिकार दिया जाएगा ।

[9]* * * * *

[10][(1क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार, यदि उसकी यह राय है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो, लिखित आदेश द्वारा विश्वविद्यालय को यह निदेश दे सकेगी कि वह भारत के बाहर स्थित किसी संस्था को अपने विशेषाधिकार दे और विश्वविद्यालय ऐसे निदेश के अनुपालन के लिए आबद्ध होगा ।]

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, [11][किन्तु जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1966 (1966 का 53)] के उपबंधों के अधीन रहते हुए, [12][ऊपरिवर्णित सीमाओं] के अन्दर कोई शिक्षा संस्था राज्यों में विधि द्वारा निगमित किसी अन्य विश्वविद्यालय से किसी रूप में सहयुक्त नहीं की जाएगी या उसे ऐसे विश्वविद्यालय का कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा और इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व [8][उन सीमाओं] में ऐसे किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी किसी शिक्षा संस्था को दिया गया ऐसा कोई विशेषाधिकार इस अधिनियम के प्रारंभ पर वापस ले लिया गया समझा जाएगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार लिखित आदेश[13] द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस उपधारा के उपबन्ध आदेश में विनिर्दिष्ट किसी संस्था की दशा में लागू नहीं होंगे :

[14][परंतु यह और कि इस उपधारा के उपबंध ऐसी किसी शिक्षा संस्था की दशा में लागू नहीं होंगे जो इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम 9) के अधीन निगमित इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है ।]

---

[1] 1943 के अधिनियम सं० 24 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 1952 के अधिनियम सं० 5 की धारा 4 द्वारा खण्ड (12) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1961 के अधिनियम सं० 61 की धारा 2 द्वारा (1-2-1962 से) अंत:स्थापित ।

[4] 1961 के अधिनियम सं० 61 की धारा 2 द्वारा (1-2-1962 से) खण्ड (12क), खण्ड (12ग) के रूप में पुन:संख्यांकित ।

[5] 1961 के अधिनियम सं० 61 की धारा 3 द्वारा (1-2-1962 से) अंत:स्थापित ।

[6] विधि अनुकूलन (सं० 3) आदेश, 1956 द्वारा "दिल्ली राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[7] 1952 के अधिनियम सं० 5 की धारा 5 द्वारा "विश्वविद्यालय के दीक्षान्त भवन के 10 मील के अर्धव्यास के परे" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[8] 1952 के अधिनियम सं० 5 की धारा 5 द्वारा "उस सीमा" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[9] 1952 के अधिनियम सं० 5 की धारा 5 द्वारा परन्तुक का लोप किया गया ।

[10] 1981 के अधिनियम सं० 27 की धारा 2 द्वारा (9-6-1981 से) अंत:स्थापित ।

[11] 1966 के अधिनियम सं० 53 की धारा 27 द्वारा (22-4-1969 से) अंत:स्थापित ।

[12] 1952 के अधिनियम सं० 5 की धारा 5 द्वारा "ऊपरिवर्णित सीमा" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[13] कतिपय संस्थाओं को इस उपधारा के उपबंधों के लागू न होने के निदेश की अधिसूचनाओं के बारे में देखिए भारत का राजपत्र, 1922, भाग 1, पृ० 491; और भारत का राजपत्र, 1923, भाग 1, पृ० 259, 459 और 488 ।

[14] 2002 के अधिनियम सं० 43 की धारा 2 अत:स्थापित ।

6. विश्वविद्यालय का सभी वर्गों, जातियों और पंथों के लिए खुला होना—विश्वविद्यालय सभी स्त्रियों और पुरुषों के लिए खुला होगा, चाहे वे किसी भी मूलवंश, [1][पंथ, जाति या वर्ग] के हों और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को उसमें शिक्षक या छात्र के रूप में प्रवेश पाने या उसमें कोई पद धारण करने या उसमें स्नातक उपाधि प्राप्त करने या उसके किसी विशेषाधिकार का उपभोग या प्रयोग करने का हकदार बनाने के लिए [2]*** किसी धार्मिक विश्वास या मान्यता संबंधी कोई मापदण्ड अपनाए या उस पर अधिरोपित करे, किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत किसी विशिष्ट उपकृति के बारे में ऐसा करना विधिपूर्ण होगा जिसके लिए कोई मापदण्ड उस उपकृति का सृजन करने वाली किसी वसीयती या अन्य लिखत में शर्त के रूप में रखा गया हो :

परन्तु इस धारा की कोई बात अध्यादेशों द्वारा विहित रीति से धार्मिक शिक्षण उन व्यक्तियों को देने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी [3][जो उस शिक्षण को प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति दे दें ।]

7. विश्वविद्यालय में अध्यापन—(1) विश्वविद्यालय के शिक्षक ऐसा सभी मान्यताप्राप्त अध्यापन, जो विश्वविद्यालय-पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में हो, विद्या परिषद् के नियंत्रण में करेंगे और इसके अन्तर्गत व्याख्यान देना, प्रयोगशाला-कार्य तथा विनियमों द्वारा विहित पाठ्यविवरण के अनुसार किया जाने वाला अन्य अध्यापन भी है ।

[4]* * * * *

(3) ऐसा अध्यापन संगठित करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकरणों को परिनियमों द्वारा विहित किया जाएगा ।

(4) पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या को अध्यादेशों द्वारा और उनके अधीन रहते हुए विनियमों द्वारा विहित किया जाएगा ।

[5]* * * * *

[6][**7क. कुलाध्यक्ष**—(1) भारत का राष्ट्रपति विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा ।

(2) कुलाध्यक्ष को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें वह निदेश दे, विश्वविद्यालय, उसके भवन, प्रयोगशालाओं और उपस्करों का और विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जाने वाली किसी संख्या का तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित की जाने वाली परीक्षाओं, किए जाने वाला अध्यापन और अन्य कार्यों का भी निरीक्षण कराने और विश्वविद्यालय से संबंधित किसी मामले की बाबत इसी रीति से जांच कराने का अधिकार होगा ।

(3) कुलाध्यक्ष, प्रत्येक मामले में निरीक्षण या जांच कराने के अपने आशय की सूचना विश्वविद्यालय को देगा और विश्वविद्यालय एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच में उपस्थित होने और सुने जाने का अधिकार होगा ।

(4) कुलाध्यक्ष ऐसे निरीक्षण और जांच के परिणाम के संदर्भ में कुलपति को संबोधित कर सकेगा और कुलपति कार्य परिषद् को कुलाध्यक्ष के विचार में ऐसी सलाह के साथ संसूचित करेगा जो कुलाध्यक्ष उस पर की जाने वाली कार्रवाई के लिए दे ।

(5) कार्य परिषद् कुलपति के माध्यम से कुलाध्यक्ष को वह कार्रवाई, यदि कोई हो, संसूचित करेगी जिसे वह ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामस्वरूप करने की प्रस्थापना करता है या जो की गई हो ।

(6) जहां कार्य परिषद्, उचित समय के भीतर, कुलाध्यक्ष के समाधानप्रद रूप में कार्रवाई नहीं करता है वहां कुलाध्यक्ष कार्य परिषद् द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जो वह ठीक समझे और कार्य परिषद् ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगी ।

(7) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाध्यक्ष विश्वविद्यालय की ऐसी कार्यवाही को, जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप न हो, लिखित आदेश द्वारा निष्प्रभाव कर सकेगा :

परन्तु ऐसा आदेश करने के पहले वह विश्वविद्यालय को इस बात का कारण दर्शित करने के लिए कहेगा कि ऐसा आदेश क्यों न किया जाए और यदि उचित समय के भीतर कोई कारण दर्शित किया जाता है तो वह उस पर विचार करेगा ।

7ख. मुख्य कुलाधिसचिव (मुख्य रेक्टर) और कुलाधिसचिव (रेक्टर)—(1) [7][दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र] का मुख्य आयुक्त विश्वविद्यालय का मुख्य कुलाधिसचिव होगा ।

(2) वे व्यक्ति, जो परिनियमों के अनुसार इस निमित्त नियुक्त किए जाएं, विश्वविद्यालय के कुलाधिसचिव होंगे ।

[1] 1952 के अधिनियम सं० 5 की धारा 6 द्वारा "वर्ग या पंथ" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1952 के अधिनियम सं० 5 की धारा 6 द्वारा "जहां ऐसी परीक्षा विशेष रूप से नियमों द्वारा विहित या" शब्दों का लोप किया गया ।
[3] 1952 के अधिनियम सं० 5 की धारा 6 द्वारा "जो कार्यकारी परिषद् द्वारा इस निमित्त अनुमोदित व्यक्तियों (चाहे वे विश्वविद्यालय के शिक्षक हों अथवा नहीं) से प्राप्त करने के अनिच्छुक न हों" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 1943 के अधिनियम सं० 24 की धारा 4 द्वारा उपधारा (2) निरसित ।
[5] 1952 के अधिनियम सं० 5 की धारा 7 द्वारा उपधारा (5) का लोप किया गया ।
[6] 1952 के अधिनियम सं० 5 की धारा 8 द्वारा अंत:स्थापित ।
[7] विधि अनुकूलन (सं० 3) आदेश, 1956 द्वारा "दिल्ली राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

COURT BOOK

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

विश्वविद्यालय के अधिकारी

8. विश्वविद्यालय के अधिकारी—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :—

(i) कुलाधिपति,

(ii) प्रतिकुलाधिपति,

(iii) कुलपति,

[1][(iv) प्रतिकुलपति, यदि कोई हो,]

(v) कोषपाल,

(vi) कुलसचिव,

(vii) संकायों के अध्यक्ष, और

(viii) विश्वविद्यालय में सेवारत ऐसे अन्य व्यक्ति, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं ।

9.—15. दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1952 (1952 का 5) की धारा 10 द्वारा निरसित ।

[2][**16. अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य आदि**—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के अधिकारियों की शक्तियों और उनके कर्तव्यों तथा उस अवधि का, जब तक वे पद धारण करेंगे और ऐसे पदों में होने वाली आकस्मिक रिक्तियों के भरने का उपबन्ध परिनियमों द्वारा किया जाएगा ।]

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

17. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे :—

(i) सभा,

(ii) कार्य परिषद्,

(iii) विद्या परिषद्,

[3][(iiiक) वित्त समिति,]

(iv) संकाय, और

(v) ऐसे अन्य प्राधिकरण, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किए जाएं ।

[4][**18. सभा**—सभा विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण होगी और उसे कार्य परिषद् और विद्या परिषद् के कार्यों का (तब को छोड़कर जब इन प्राधिकरणों ने उन शक्तियों के अनुसरण में कार्य किया हो) जो उन्हें इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के अधीन प्रदान की गई हैं । पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी और वह विश्वविद्यालय की ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अन्यथा उपबन्धित नहीं हैं ।]

19. [सभा का अधिवेशन ।]—दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1952 (1952 का 5) की धारा 14 द्वारा निरसित ।

20. [सभा की शक्तियां और कर्तव्य ।]—दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1952 (1952 का 5) की धारा 14 द्वारा निरसित ।

21. कार्य परिषद्—कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का कार्यपालक निकाय होगी और उसका गठन तथा पदेन सदस्यों से भिन्न उसके सदस्यों की पदावधि परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी ।

22. [कार्य परिषद् की शक्तियां और कर्तव्य ।]—दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1952 की धारा 14 द्वारा निरसित ।

23. विद्या परिषद्—विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के भीतर शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के स्तर का नियंत्रण और साधारण विनियमन करेगी और उन्हें बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगी तथा वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी जो परिनियमों द्वारा उसे प्रदान किए जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं उसे सभी शैक्षणिक विषयों पर कार्य परिषद्

---

[1] 1952 के अधिनियम सं० 5 की धारा 9 द्वारा पूर्ववर्ती मद के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1952 के अधिनियम सं० 5 की धारा 11 द्वारा मूल धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1952 के अधिनियम सं० 5 की धारा 12 द्वारा अंत:स्थापित ।

[4] 1952 के अधिनियम सं० 5 की धारा 13 द्वारा पूर्ववर्ती धारा 18 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

को सलाह देने का अधिकार होगा । विद्या परिषद् का गठन और उसके उन सदस्यों की पदावधि, जो पदेन सदस्यों से भिन्न हों, परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

24. [संकाय ।]—दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1952 (1952 का 5) की धारा 14 द्वारा निरसित ।

[1][**25. विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों की शक्तियां और उनके कर्तव्य**—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियां और उनके कर्तव्य परिनियमों द्वारा उपबन्धित किए जाएंगे ।]

विश्वविद्यालय बोर्ड

26. विश्वविद्यालय बोर्ड—विश्वविद्यालय के अंतर्गत निवास, स्वास्थ्य और अनुशासन बोर्ड तथा ऐसे अन्य बोर्ड होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

27. अध्यादेशों द्वारा बोर्डों का गठन आदि विहित किया जाना—विश्वविद्यालय के निवास, स्वास्थ्य और अनुशासन बोर्डों तथा सभी अन्य बोर्डों का गठन, उनकी शक्तियां और उनके कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

परिनियम, अध्यादेश और विनियम

[2][**28. परिनियम**—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिनियम निम्नलिखित सभी विषयों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) सभा, कार्य परिषद्, विद्या परिषद्, वित्त समिति तथा ऐसे अन्य निकायों का, जिन्हें गठित करना, समय-समय पर आवश्यक समझा जाए, गठन, उनकी शक्तियां और उनके कर्तव्य;

(ख) उक्त निकायों के सदस्यों का निर्वाचन और पदों पर बना रहना, जिनके अन्तर्गत प्रथम सदस्यों का पदों पर बना रहना भी है और सदस्यों में रिक्तियों का भरा जाना, तथा उन निकायों से सम्बन्धित अन्य सब विषय जिनके लिए उपबन्ध करना आवश्यक या वांछनीय हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, इनकी शक्तियां और उनके कर्तव्य;

(घ) पेंशन या भविष्य निधि का गठन तथा विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के फायदों के लिए एक बीमा स्कीम की स्थापना;

(ङ) सम्मानिक उपाधियां प्रदान करना;

(च) उपाधियों, डिप्लोमें, प्रमाणपत्रों तथा अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्ट उपाधियों को वापस लेना;

(छ) संकायों, विभागों, छात्रनिवासों, महाविद्यालयों और संस्थाओं की स्थापना और समाप्ति;

(ज) वे शर्तें, जिन पर महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए जा सकेंगे और ऐसे विशेषाधिकारों को वापस लिया जाना;

[3][(जज) स्वायत्तता की वह सीमा जो धारा 4 के खण्ड (9क) के अधीन स्वायत्त महाविद्यालय के रूप में घोषित किसी महाविद्यालय को प्राप्त हो सकेगा; और वे विषय जिनके सम्बन्ध में ऐसी स्वायत्तता का प्रयोग किया जा सकेगा;

(जजज) महाविद्यालय प्रशासनिक परिषदों का गठन, उनकी शक्तियां और उनके कर्तव्य;]

(झ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, छात्र सहायतावृत्तियों, पदकों और पारितोषिकों का संस्थित किया जाना; और

(ञ) अन्य ऐसे सभी विषय जो इस अधिनियम के अनुसार परिनियमों द्वारा उपबन्धित किए जाने हैं या किए जा सकेंगे ।

29. परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे—[4][(1) दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1943 (1943 का 24) के प्रारम्भ पर विश्वविद्यालय के परिनियम वे होंगे जो अनुसूची में दिए गए हैं ।]

[5][(2) कार्य परिषद् समय-समय पर, नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या परिनियमों में संशोधन कर सकेगी या उन्हें निरसित कर सकेगी :

---

[1] 1952 के अधिनियम सं० 5 की धारा 15 द्वारा मूल धारा 25 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1952 के अधिनियम सं० 5 की धारा 16 द्वारा मूल धारा 28 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1972 के अधिनियम सं० 48 की धारा 3 द्वारा (22-6-1972 से) अन्त:स्थापित ।
[4] 1943 के अधिनियम सं० 24 की धारा 9 द्वारा मूल उपधारा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1972 के अधिनियम सं० 48 की धारा 4 द्वारा (22-6-1972 से) उपधारा (2) से (6) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

परन्तु कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों का गठन पर प्रभाव डालने वाला कोई परिनियम तब तक न तो बनाएगी और उसे संशोधित या निरसित करेगी जब तक कि उस प्राधिकरण को प्रस्तावित परिवर्तनों पर अपनी राय लिखित रूप में प्रकट करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार प्रकट की गई किसी राय पर कार्य परिषद् विचार करेगी :

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

परन्तु यह और कि विद्या परिषद् की पूर्व सहमति के बिना कार्य परिषद् निम्नलिखित सभी या उनमें से किन्हीं भी विषयों को प्रभावित करने वाला कोई परिनियम न तो बनाएगी और न उसे संशोधित या निरसित करेगी, अर्थात् :—

(i) विद्या परिषद् का गठन, उसकी शक्तियां और उसके कर्तव्य तथा वे अन्य शक्तियां जो विद्या परिषद् को प्रदान की जाएं और अन्य कर्तव्य जो उस पर अधिरोपित किए जाएं;

(ii) विश्वविद्यालय-पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में मान्यताप्राप्त अध्यापन को संगठित करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण;

(iii) उपाधियों, डिप्लोमें, प्रमाणपत्रों और विद्या सम्बन्धी अन्य विशिष्ट उपाधियों का वापस लिया जाना;

(iv) संकायों, विभागों, छात्रनिवासों, महाविद्यालयों और संस्थाओं की स्थापना और उनकी समाप्ति;

(v) वे शर्तें, जिन पर महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए जा सकेंगे और ऐसे विशेषाधिकारों का वापस लिया जाना;

(vi) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, छात्र सहायतावृत्तियों, पदकों और पारितोषिकों का संस्थित किया जाना;

(vii) स्वायत्तता की वह सीमा, जो किसी महाविद्यालय को प्राप्त हो सकेगी और वे विषय जिनके संबंध में ऐसी स्वायत्तता का प्रयोग किया जा सकेगा;

(viii) महाविद्यालय प्रशासनिक परिषदों का गठन, उनकी शक्तियां और उनके कृत्य;

(ix) वे शर्तें जिनके पूरे किए जाने पर महाविद्यालय और संस्थाओं के शिक्षकों को विश्वविद्यालय के शिक्षकों के रूप में मान्यता दी जा सकेगी ।

(3) प्रत्येक नए परिनियम या परिनियमों के किसी परिवर्धन या किसी परिनियम के किसी संशोधन या निरसन के लिए कुलाध्यक्ष का पूर्वानुमोदन अपेक्षित होगा और कुलाध्यक्ष उसे मंजूर या नामंजूर कर सकेगा या उसे कार्य परिषद् को उस पर और आगे विचार करने के लिए वापस भेज सकेगा ।]

[1][**30. अध्यादेश**—इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यादेश निम्नलिखित सभी विषयों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नाम दर्ज किया जाना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमें और प्रमाणपत्रों के लिए नियत किए जाने वाले पाठ्यक्रम;

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियां, डिप्लोमें, प्रमाणपत्र और विद्या सम्बन्धी अन्य विशिष्ट उपाधियां और उनके लिए अर्हताएं तथा उन्हें प्रदान करने और प्राप्त करने के बारे में किए जाने वाले उपाय;

(घ) विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन के लिए और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमें के लिए ली जाने वाली फीस;

(ङ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, छात्र-सहायतावृत्तियों, पदकों और पारितोषिकों के प्रदान किए जाने की शर्तें;

(च) परीक्षाओं का संचालन, जिसके अन्तर्गत परीक्षा-निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और उनके कर्तव्य भी हैं;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिए किए जाने वाले विशेष प्रबन्ध, यदि कोई हों, और उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम विहित करना;

(ञ) धार्मिक शिक्षण देना;

(ट) विश्वविद्यालय के शिक्षकों की उपलब्धियां तथा उनकी सेवा की शर्तें और निबन्धन;

---

[1] 1952 के अधिनियम सं० 5 की धारा 18 द्वारा धारा 30 और 31 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ठ) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या चलाए जाने वाले महाविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं का प्रबन्ध;

(ड) जिन महाविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए गए हैं उनका अधीक्षण और नियंत्रण; और

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ढ) अन्य ऐसे सब विषय जो इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित किए जाने हैं या किए जा सकेंगे ।

31. अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे—(1) दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1952 के प्रारम्भ से ठीक पूर्व प्रवृत्त विश्वविद्यालय के अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा किसी भी समय संशोधित, निरसित या परिवर्तित किए जा सकेंगे :

परन्तु—

(i) कोई भी अध्यादेश छात्रों के निवास की शर्तों या अनुशासन पर प्रभाव डालता हो, विद्या परिषद् से परामर्श किए बिना नहीं बनाया जाएगा;

(ii) कोई ऐसा अध्यादेश, जो :—

(क) छात्रों के प्रवेश या उनके नाम दर्ज किए जाने पर प्रभाव डालता हो या ऐसी परीक्षाएं विहित करता हो जिन्हें विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समतुल्य मान्यता देनी है विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समतुल्य मान्यताप्राप्त परीक्षाएं विहित करता हो, या

(ख) परीक्षकों की शर्तों, उनकी नियुक्ति की रीति या उनके कर्तव्यों पर अथवा परीक्षाओं या किसी पाठ्यक्रम के संचालन या स्तर पर प्रभाव डालता हो,

तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक कि उस अध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित न किया गया हो ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित किसी प्रारूप का संशोधन करने की शक्ति कार्य परिषद् को प्राप्त नहीं होगी, किन्तु वह प्रस्थापना को नामंजूर कर सकेगी या प्रारूप को, ऐसे संशोधनों सहित, जो कार्य परिषद् सुझाए पूर्णत: या अंशत: पुनर्विचारार्थ विद्या परिषद् को वापस कर सकेगी ।

(3) जहां विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित किसी अध्यादेश का प्रारूप कार्य परिषद् ने नामंजूर कर दिया है वहां विद्या परिषद् केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगी और केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि प्रस्थापित अध्यादेश सभा के अनुमोदनार्थ उसके अगले अधिवेशन में रखा जाए और ऐसा अनुमोदन होने तक उसका प्रभाव उस तारीख से होगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए :

परन्तु यदि उक्त अधिवेशन में सभा उस आदेश का अनुमोदन नहीं करती है तो वह प्रभावहीन हो जाएगा ।

(4) कार्य परिषद् द्वारा बनाए गए सभी अध्यादेश, यथाशक्य शीघ्र, कुलाध्यक्ष और सभा को भेजे जाएंगे और सभा अपने अगले अधिवेशन में उन पर विचार करेगी और सभा को यह शक्ति प्राप्त होगी कि वह कार्य परिषद् द्वारा बनाए गए किसी भी अध्यादेश को मतदान करने वाले अपने सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा रद्द कर दे और ऐसे संकल्प की तारीख से उक्त अध्यादेश प्रभावहीन हो जाएगा ।

(5) कुलाध्यक्ष, आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि किसी अध्यादेश का प्रवर्तन तब तक के लिए निलम्बित कर दिया जाए जब तक उसे नामंजूर करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने का अवसर उसे उपलब्ध न हो गया हो और इस उपधारा के अधीन निलम्बन का कोई आदेश ऐसे आदेश की तारीख से एक मास की समाप्ति पर या सभा द्वारा उस आदेश पर विचार किए जाने की तारीख से पन्द्रह दिन की समाप्ति पर, इनमें से जिस किसी अवधि का अवसान बाद में हो, प्रभावहीन हो जाएगा ।

(6) कुलाध्यक्ष, सभा द्वारा अध्यादेश पर विचार कर लिए जाने के पश्चात् किसी भी समय, उस अध्यादेश के प्रति अपनी नामंजूरी कार्य परिषद् को संज्ञापित कर सकेगा, और ऐसी नामंजूरी की सूचना कार्य परिषद् को प्राप्त होने की तारीख से उक्त अध्यादेश प्रभावहीन हो जाएगा ।]

32. विनियम—(1) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण [1]*** इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकेंगे, जिनमें—

(क) उनके अधिवेशनों में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्य-संख्या अधिकथित हो,

(ख) ऐसे सभी विषयों के लिए उपबन्ध हो जो इस अधिनियम, इन परिनियमों या अध्यादेशों के अनुसार विनियमों द्वारा विहित किए जाने हैं, और

---

[1] 1952 के अधिनियम सं० 5 की धारा 19 द्वारा "और बोर्डों" शब्दों का लोप किया गया ।

(ग) ऐसे अन्य सभी विषयों के लिए उपबन्ध हों जिनका केवल ऐसे प्राधिकरणों [1][या उनके द्वारा नियुक्त समितियों] से सम्बन्ध हो और जिनके लिए उपबन्ध इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा न किया गया हो ।

COURT BOOK

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकरण अपने सदस्यों को अधिवेशनों की तारीखों की और उन अधिवेशनों में विचारार्थ कामकाज की सूचना देने तथा ऐसे अधिवेशनों की कार्यवाहियों का अभिलेख रखने का उपबन्ध करने के लिए विनियम बनाएगा ।

(3) कार्य परिषद् इस धारा के अधीन बनाए गए किसी विनियम का ऐसी रीति से, जो वह विनिर्दिष्ट करे, संशोधन करने या उपधारा (1) के अधीन बनाए गए किसी विनियम के निष्प्रभाव होने का निदेश दे सकेगी :

परन्तु विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकरण या बोर्ड, जो ऐसे किसी निदेश से असन्तुष्ट है, [2][सभा] को अपील कर सकेगा जिसका उस मामले में विनिश्चय अन्तिम होगा ।

[3][(4) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

(5) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल 30 दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस परिनियम, अध्यादेश या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि वह परिनियम, अध्यादेश या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा परिनियम अध्यादेश या विनियम, यथास्थिति, तत्पश्चात् केवल ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, उस परिनियम, अध्यादेश या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

निवास

33. निवास—विश्वविद्यालय का ऐसा प्रत्येक छात्र [4][जो उस छात्र से भिन्न हो जो पाठ्यक्रमानुसार पत्राचार द्वारा अध्ययन कर रहा है] किसी महाविद्यालय या छात्र-निवास में या ऐसी शर्तों पर निवास करेगा जो [5]*** अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं ।

34. महाविद्यालय—[6][(1) महाविद्यालय ऐसे होंगे जिन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1943 के प्रारंभ के पश्चात् कार्य परिषद् द्वारा इस अधिनियम और परिनियमों के अनुसरण में मान्यता दी जाए किन्तु ऐसे सभी विश्वविद्यालय भी, जिन्हें उक्त अधिनियम के प्रारंभ पर विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों के रूप में मान्यता दी गई है, जब तक उनकी ऐसी मान्यता बनी रहती है, इनके अन्तर्गत होंगे ।]

(2) महाविद्यालयों में निवास की शर्तें अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएंगी और प्रत्येक महाविद्यालय का निरीक्षण बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत निवास, स्वास्थ्य और अनुशासन बोर्ड का कोई सदस्य तथा कार्य परिषद् द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी करेगा ।

35. छात्रनिवास—(1) छात्रनिवास ऐसे होंगे जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाएं या कार्य परिषद् द्वारा ऐसी साधारण या विशेष शर्तों पर, जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं, अनुमोदित किए जाएं और जिन्हें मान्यता दी जाए ।

(2) छात्रनिवासों के वार्डनों और अधीक्षण कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति [7][अध्यादेशों] द्वारा विहित रीति से की जाएगी ।

(3) छात्रनिवासों में निवास की शर्तें अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएंगी और प्रत्येक छात्रनिवास का निरीक्षण बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत निवास, स्वास्थ्य और अनुशासन बोर्ड का कोई सदस्य तथा कार्य परिषद् द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति करेगा ।

(4) कार्य परिषद् के किसी ऐसे छात्रनिवास की मान्यता निलम्बित करने या वापस लेने की शक्ति होगी जिसका संचालन अध्यादेशों द्वारा विहित शर्तों के अनुसरण में नहीं किया जा रहा है ।

प्रवेश और परीक्षाएं

36. [विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश ।]—दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1952 (1952 का 5) की धारा 22 द्वारा निरसित ।

37. [परीक्षाएं ।]—दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1952 (1952 का 5) की धारा 22 द्वारा निरसित ।

---

[1] 1952 के अधिनियम सं० 5 की धारा 19 द्वारा "और बोर्ड" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1952 के अधिनियम सं० 5 की धारा 19 द्वारा "केन्द्रीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 2005 के अधिनियम सं० 4 की धारा 21 और अनुसूची द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 1961 के अधिनियम सं० 61 की धारा 4 द्वारा (1-2-1962 से) अन्त:स्थापित ।
[5] 1952 के अधिनियम सं० 5 की धारा 20 द्वारा "कानूनों और" शब्दों का लोप किया गया ।
[6] 1943 के अधिनियम सं० 24 की धारा 10 द्वारा उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[7] 1952 के अधिनियम सं० 5 की धारा 21 द्वारा "कानूनों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

वार्षिक रिपोर्ट और लेखे

COURT BOOK

38. वार्षिक रिपोर्ट—[1][(1)] विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद् के निदेशन में तैयार की जाएगी और सभा को ऐसी तारीख को या उसके पूर्व भेजी जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए, तथा सभा उस पर अपने वार्षिक अधिवेशन में विचार करेगी; सभा उस पर संकल्प पारित कर सकेगी और उन्हें कार्य परिषद् को भेज सकेगी ।

[2][(2) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, केन्द्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी जो, उसे, यथाशीघ्र, संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी ।]

[3][**39. लेखापरीक्षा**—(1) विश्वविद्यालय के लेखाओं की परीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार और अधिक से अधिक पन्द्रह मास के अन्तरालों पर की जाएगी ।

(2) लेखाओं की परीक्षा हो जाने पर उन्हें भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और लेखाओं की एक प्रति, लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित, विश्वविद्यालय द्वारा कुलाध्यक्ष को भेजी जाएगी ।

[4][(3) लेखाओं की एक प्रति, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ केन्द्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी जो उन्हें, यथाशीघ्र, संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी ।]

40. [रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के नामों का हटाया जाना ।]—दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1952 (1952 का 5) की धारा 24 द्वारा निरसित ।

41. विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और निकायों के गठन के संबंध में विवाद—यदि ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय का सदस्य सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त हुआ है या नहीं या उसका सदस्य होने का कदार है या नहीं, तो उस मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

42. समितियों का गठन—जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण को समितियां नियुक्त करने की शक्ति इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा दी गई है वहां, जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, ऐसी समितियां संबंधित प्राधिकरण के सदस्यों से और ऐसे अन्य व्यक्तियों से (यदि कोई हों), जिन्हें प्राधिकरण प्रत्येक दशा में ठीक समझे, मिलकर बनेगी ।

43. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों में सभी आकस्मिक रिक्तियां, यथाशीघ्र सुविधानुसार ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जाएंगी जिसने उस सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया था और जो व्यक्ति आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया जाएगा उसकी सदस्यता की अवधि उस सदस्य की अवशिष्ट अवधि होगी जिसका स्थान वह भरता है ।

44. विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और निकायों की कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य न होना—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां हैं ।

[5][**45. अधिकारियों और शिक्षकों की सेवा की शर्तें**—(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक वैतनिक अधिकारी और शिक्षक, लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जाएगा जो विश्वविद्यालय के पास रखी जाएगी और उसकी एक प्रति संबंधित अधिकारी या शिक्षक को दी जाएगी ।

(2) विश्वविद्यालय और इसके किसी अधिकारी या शिक्षक के बीच किसी संविदा से पैदा होने वाला विवाद, संबंधित अधिकारी या शिक्षक के अनुरोध पर या विश्वविद्यालय की प्रेरणा पर, माध्यस्थम् अधिकरण को निर्देशित किया जाएगा जिसमें कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त एक सदस्य, संबंधित अधिकारी या शिक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य, और कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होगा, और अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा ।]

46. पेंशन और भविष्य निधियां—(1) विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों, शिक्षकों, लिपिक कर्मचारिवृन्द तथा सेवकों के फायदे के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, ऐसी पेंशन, बीमा और भविष्य निधियों की स्थापना करेगा जो वह ठीक समझे ।

(2) जहां ऐसी किसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि की इस प्रकार प्रस्थापना की गई है, [6][या जहां ऐसे नियमों के अधीन, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए हों,] ऐसी किसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि की किसी महाविद्यालय द्वारा स्थापना की गई

---

[1] 2008 के अधिनियम सं० 25 की धारा 4 द्वारा पुन:संख्यांकित ।
[2] 2008 के अधिनियम सं० 25 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 1952 के अधिनियम सं० 5 की धारा 23 द्वारा पूर्ववर्ती धारा 39 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 2008 के अधिनियम सं० 25 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 1952 के अधिनियम सं० 5 की धारा 25 द्वारा पूर्ववर्ती धारा 45 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] 1943 के अधिनियम सं० 24 की धारा 14 द्वारा अन्त:स्थापित ।

है वहां केन्द्रीय सरकार यह घोषित कर सकेगी कि ऐसी निधियों को भविष्य निधि अधिनियम, [1][1925] (1925 का 19) के उपबंध वैसे ही लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य निधि हो ।

[2]* * * * *

47. [कठिनाइयों का दूर किया जाना ।]—दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1943 (1943 का 24) की धारा 15 द्वारा निरसित ।

48. [दिल्ली महाविद्यालय में छात्रों के लिए पाठ्यक्रमों का पूरा किया जाना ।]—दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1943 (1943 का 24) की धारा 15 द्वारा निरसित ।

अनुसूची—[अनुसूची प्रकाशित नहीं की जा रही है क्योंकि मूल परिनियम परिवर्तित हो चुके हैं । विद्यमान परिनियमों के लिए कृपया दिल्ली विश्वविद्यालय का कलेण्डर देखें ।]

———

[1] 1940 के अधिनियम सं० 32 की धारा 3 द्वारा "1897" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1943 के अधिनियम सं० 24 की धारा 15 द्वारा "अस्थायी उपबंध" शीर्षक निरसित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY